

अनुमति की शर्तें।

- (i) पत्र भवन/गुरुद्वारा के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, ध्वंसितगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल 145 की व्यावसायिक संरचना कार्य डिजाइन अनुसार
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 186 दिनांक 07/06/2019

प्राचीन किर्लोस्कर लिटिगेशन ऑफिस आरि इ.एस.ए. भारी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 194 (7) (घ) के तहत आवेदनीय

ध्वंसन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7639/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1069/4063, 4063

दिनांक 07/06/19 को जमा करा दी है।

दुकान संख्या 12 बखत बाजार व्यावसायिक
शोजना एकाइट जाइस

October 2023
व्यावसायिक
कार्य डिजाइन
मनुसाल

~~प्रमुख
नगर निगम, जोधपुर~~

पंजीकृत
सो.ल.स. सं. 100
राजस्थान नगर पालिका
जोधपुर, राजस्थान

Chandey
Chandey
9214071330